न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-244RAAJodhpur2023-122RTA223 Dhursingh ors Vs Achal Singh etc

01. धूड़ सिंह पुत्र सगतसिंह
02. कान सिंह पुत्र सगतसिंह
03. खुमाकंवर पत्नी भँवरसिंह
04. छैलू सिंह पुत्र भँवरसिंह
05. हीर सिंह पुत्र भँवरसिंह
06. गुलाब सिंह पुत्र भँवरसिंह
07. प्रेम सिंह पुत्र भँवरसिंह
08. हिम्मत सिंह पुत्र भँवरसिंह
09. महेन्द्र सिंह पुत्र भँवरसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– टेपू उर्फ जोधाणी तहसील बाप, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. अचल सिंह पुत्र सांग सिंह
2. नखत सिंह पुत्र सांग सिंह
3. उतम सिंह पुत्र सांग सिंह
4. भगवान सिंह पुत्र सांग सिंह
5. चन्दन सिंह पुत्र सांग सिंह
   निवासीगण– टेपू, तहसील बाप, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
6. तेज सिंह पुत्र कोज सिंह निवासी– स्टेरशन एरिया शिमला(खारा) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 160/2019 अचलसिंह बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित–
श्री गिरधर सिंह भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 03 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 160/2019 अनवान अचलसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया । अपीलांट्स की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 107 रकबा 86.04 बीघा एवं खसरा नं. 232 रकबा 20.04 बीघा ग्राम टेपू तहसील बाप के संबंध धारा 88 आर.टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2021 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी ग्राम टेपू तहसील बाप में स्थित खसरा संख्या 107 कबा 86 बीघा 04 बिस्वा व खसरा संख्या 232 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा सगतसिंह (फौत), पन्नेसिंह (लाऔलाद फौत) व सांगसिंह (फौत) पिसरान जवाहरसिंह की पुश्तैनी भूमि रही है किन्तु वक्त सेटलमण्ट कर्मचारियों की भूल से राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजियात बाबत सगतसिंह का नाम दर्ज नहीं हो पाया, इस कारण सगतसिंह के वारिसान अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय में दावा पेश कर रखा है, किन्तु इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. अचलसिंह की ओर से प्रस्तुत दावा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध डिक्री कर दिया गया। अपीलांटगण के पूर्वज सगतसिंह के भाई पन्नेसिंह लाऔलाद फौत हुए, उन्होने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जीवानकाल में किसी को भी गोद नही लिया था। इसके बावजूद अचलसिंह ने अपने को गोद पुत्र बताते हुए उक्त वाद पेश किया, लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेज लिए बिना किसी साक्ष्य सबूत के उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स संख्या एक अचलसिंह, सांगसिंह का पुत्र है, उसके नाम से खसरा नं. 223, 225, 255 एवं 256 ग्राम दुर्गाणी टेपू में खातेदारी भूमि है, जिसमें वह सांगसिंह का पुत्र है तथा पन्नेसिंह ने अपने जीवन काल में किसी को भी गोद नही किया था, वे लाऔलाद फौत हुए, उन्होंने कोई गोदनामा की लिखावट निष्पादित नहीं की। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार एवं साक्ष्य सबूत के रेस्पो.–प्रतिवादी अचलसिंह को पन्नेसिंह का दत्तक पुत्र मानने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है क्योंकि पन्नेसिंह पुत्र जवाहरसिंह लाऔलाद फौत हुए और उसके द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को भी दत्तक ग्रहण नहीं किया गया और न ही वादी–रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई गोदनामा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय को दत्तक के मामले में किसी प्रकार का विनिश्चयन करने का कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार भी उपलब्ध नहीं है। वादी–रेस्पो. अचलसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद में अपीलाण्ट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया है। वादग्रस्त आराजियात के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 92ए व धारा 131 व 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत किया हुआ है उसमें नोटिस जारी हो रखे है। किन्तु इन तथ्यों को छुपाते हुए आलौच्य वाद अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में जारी करवायें है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के सन्दर्भ में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की पुश्तैनी सम्पति है, जिसके संबंध में अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स के हित एवं अधिकार प्रभावित होने से अपीलांट्स अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से उन्हें समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपील को म्याद के बिंदु पर खारिज नहीं की जाकर मैरिट पर निर्णित किया जावे। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का कारण सद्भाविक होने से क्षमा योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 160/2019 अनवान अचलसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 नवंबर 2021 को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर. 1994 एस.सी. पेज 1653, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1971/2007 अनवान सुरजभान बनाम फाईनेंशियल कमीश्नर में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2007 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट पन्नेसिंह, सांगसिंह पुत्र जवाहरसिंह के नाम से दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की खुदकाश्त की भूमि है, जिसमें अपीलांट्स का कोई हक व अधिकार नहीं है। सांगसिंह के चार पुत्र है, जिसमें से रेस्पोडेंट संख्या एक अचलसिंह पन्नेसिंह के गोद चला गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत किया जाकर वाद को स्वीकार किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा भी अपने जवाब में हिस्से दुरूस्त किये जाने का जवाब प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति की अनुमति बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ-पत्र पेश नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है जो अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी अनुमति बाधित होने से खारिज योग्य है। जहां तक अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद का प्रश्न है, वह विचारण न्यायालय में जरिये साक्ष्य सिद्ध होना है। इस डिक्री से अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. ने अपील बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2021(1) पेज 19, आर.आर.डी. 1993 पेज 232, आर.आर.डी. 1989 पेज 292, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1143, अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 298/2018 अनवान धोकलराम बनाम हरदास इत्यादि में पारित निर्णय की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2011–2031 ग्राम जोधाणी तहसील फलोदी के खाता संख्या 17 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 232 रकबा 20.02 बीघा, खसरा नं. 107 रकबा 86.04 बीघा पन्नेसिंह, सांगसिंह पि. जवारसिंह के नाम से दर्ज है। अपीलांट्स का कथन है अपीलांट्स के पिता सगतसिंह, पन्नेसिंह एवं सांगसिंह तीनों सगे भाई है, जिसका खण्डन रेस्पोडेंट्स पक्ष द्वारा भी नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात की छायाप्रतियों एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स धूडसिंह आदि ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 92ए व धारा 131 व 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. अचलसिंह आदि के खिलाफ दावा पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पो. अचलसिंह की ओर से प्रस्तुत दावे में अपीलाण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दोनों मामलों में वादग्रस्त आराजियात एक ही है। विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है जबकि अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत वाद का निस्तारण किया जाना अभी बाकी है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वयं को स्व. पन्नेसिंह का गोद पुत्र बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है, किंतु इस संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य वाद पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब के आधार पर अपीलांट्स को सुनवाई कां अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिंद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार होने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 160/2019 अनवान अचलसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 नवंबर 2021 अपास्त किये जाकर विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत वाद पत्रावली को अपीलांट्स की ओर से वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत वाद पत्रावली उनवानी धूड़सिंह बनाम अचलसिंह के साथ समेकित करते हुए नियमानुसार उभय पक्ष को जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर